अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौडगढ

कालू वगैर । बनाम ।। भगवान वगेर

किस्म मुकदमा प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. मुकदमा नम्बर. 357 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2020/00061	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.06.2020	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात **मौजा पीपलीगुजरान पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदेसर मे स्थित खाता संख्या 39 मे अंकित आराजी नम्बर 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, कुल किता– 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टैयर** स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद मे नकल जमाबन्दी एव नक्शा ट्रेस सलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी मे **मौजा पीपलीगुजरान पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदेसर मे स्थित खाता संख्या 39 मे अंकित आराजी नम्बर 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, कुल किता– 7 कुल रकबा 4.40 हैक्टैयर** भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के [illegible] पत्र न्यायालय मे एक माह मे प्रस्तुत करे । [illegible] निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर [illegible] सल शुमार होकर नम्[illegible] से कम हो । (अंजु शर्मा) उपखण्ड अधिकारी भदेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:20:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner